सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र , 1943 (श०)

संख्या-457 राँची, सोमवार, 6 सितम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

17 अगस्त, 2021

आदेश संख्या -5/आरोप-1-32/2020 का०- 4061-- श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-852/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-584(ii)/स्था०, दिनांक 06.06.2020 द्वारा अनुमंडल मुख्यालय, चैनपुर में आवासित नहीं रहने, अनधिकृत रूप से अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों की चेकिंग एवं जुर्माना वसूली करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई है ।

2. श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-6313**(HRMS)**, दिनांक 01.07.2020 द्वारा श्री प्रकाश को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया ।

3. उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री प्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका सं०- **W.P.(S) No. 2194 of 2020** दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2021 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् हैः-

"In view of the well settled provision of law, it is well settled that the suspension must necessarily be for a short duration. In this case, Rule 9(6)(C) has not been invoked for extending the period of suspension or revocation. However, eight weeks' further time is allowed to the respondent State to conclude the departmental proceeding state to conclude the departmental proceeding. If the departmental proceeding is not concluded within the aforesaid period, the order of suspension shall automatically be revoked."

4. श्री प्रकाश के पत्र, दिनांक 07.04.2021 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निलंबन से मुक्त का अनुरोध किया गया ।

5. अतः माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश एवं इनसे प्राप्त आवेदन के आलोक में श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-852/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा इन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

6. श्री प्रकाश के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 457 -- 50